पूर्व मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 61/15

CPO's Sl. No. 84/15

No. E/MIS c/o/ECR/HJP

dated : 25/6/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub.: Absorption of medically unfit staff of RPF/RPSF in alternative post - Regarding.

संदर्भ / Ref: Rly. Bd's letter No. E(NG)I-2015/RE-3/2 dt 12/6/15.

विषयांकित से संबधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded here with for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA : As above.

अंजलि 25.6.15
(प. पी. अधिकारी)
सकाधि / M&E एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर ।
2. महासचिव / एस0सी0 / एस0टी0 एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर ।
3. [illegible]
4. [illegible]

CA
OS/RPF

(26)

RBE No. 61 /2015

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2015/RE-3/2 New Delhi, dated 12 .06.2015

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units,
(As per standard list).

Sub:- Absorption of medically unfit staff of RPF/RPSF in alternative post- Regarding.

A question as to how the medically incapicitated staff of Railway Protection Force/Railway Protection Special Force may be absorbed in alternative jobs in other departments of the Zonal Railways has been under consideration of Railway Board.

2. Attention in this connection is invited to Board's letter No. E(NG)I-88/RE-3/2 dated 18.01.1989 which provide that medically unfit RPF/RPSF staff may be first considered for absorption in ministerial post in their own department. The Committee constituted for considering such alternative appointments shall include an officer of the Personnel Department. In case no suitable posts to so accommodate them in RPF department are available, they may be considered for absorption in alternative posts in other departments of the railways within the framework of the provisions contained in Chapter XIII of the Indian Railway Establishment Manual Vol.I, Revised Edition 1989, First Re-Print Edition-2009. Similarly, when staff of other departments are medically de-categorised, they will also be considered for absorption against suitable posts in their own department at the outset and in case no posts are available therein then such staff will be considered against Ministerial posts in the RPF department, if such posts are available in that Department.

3. The matter has been considered by the Board. It is reiterated that the above instructions/procedure may be followed scrupulously in order to maintain the uniformity on all the Zonal Railways.

(This dispose of South Western Railway's letter No.SWR/P.573/Med. Decatg/Vol.I dated 22.05.2014).

Receipt of this letter may be acknowledged.

(M.K.Meena)
Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

आरबीई सं. 61/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2015/आरई-3/2

नई दिल्ली, दिनांक 12.06.2015

महाप्रबंधक (पी),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: आरपीएफ/आरपीएसएफ के चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य कर्मचारियों को वैकल्पिक पद पर समाहित करने के संबंध में।

रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के चिकित्सा की दृष्टि से अक्षम कर्मचारियों को रेलवे के अन्य विभागों में वैकल्पिक पदों पर किस प्रकार समाहित किया जाए, यह प्रश्न रेलवे बोर्ड के विचाराधीन रहा है।

2. इस संबंध में आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 18.01.1989 के पत्र सं. ई(एनजी)I-88/आरई-3/2 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को पहले उनके अपने विभाग में लिपिकीय पद पर समाहित करने पर विचार किया जाए। इस प्रकार की वैकल्पिक नियुक्तियों पर विचार करने के लिए गठित समिति में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा। यदि उन्हें आरपीएफ विभाग में इस प्रकार समायोजित करने के लिए कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो तो भारतीय रेल स्थापना नियमावली वॉल्यूम I, 1989 संस्करण के अध्याय XIII में निहित प्रावधानों के ढांचे के भीतर रेलवे के किसी दूसरे विभागों में वैकल्पिक पदों पर उन्हें समाहित करने पर विचार किया जाए। उसी प्रकार, जब अन्य विभागों के कर्मचारियों को चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत किया जाता है तो प्रारंभ में ही उन पर भी उनके अपने विभाग में उपयुक्त पदों पर समाहित करने पर विचार किया जाएगा और यदि कोई पद उपलब्ध न हो तो ऐसे कर्मचारियों को आरपीएफ विभाग में लिपिकीय पदों, यदि उस विभाग में ऐसे पद उपलब्ध हों, पर विचार किया जाएगा।

3. इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। यह पुन: दोहराया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों/प्रक्रियाओं का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए ताकि सभी क्षेत्रीय रेलों में एकरूपता बनाई रखी जाए।

(इससे दक्षिण पश्चिम रेलवे के दिनांक 22.05.2014 के पत्र सं. एसडब्ल्यूआर/पी.573/मेड.डिकैट/वॉल्यूम I का निपटारा हो जाता है)।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्था.(एन)
रेलवे बोर्ड

ENG I 2015/DOC